स्थापित : 1919

(0121) 2642778,2666027 264046519,2641795

जिला सहकारी बैंक लि0, मेरठ

मुख्य कार्यालयः पश्चिमी कचहरी मार्ग, मेरठ (पो0बा0 नं0 72, मेरठ)

पत्रांक : मु0का0/लेखा/2023-24/सी- 216

दिनांक : 25.09.2023

समस्त शाखा प्रबंधक,
जिला सहकारी बैंक लि0, मेरठ,
जनपद मेरठ/बागपत,

विषय- निक्षेप ब्याज दरों में संशोधन विषयक।

बैंकों द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित रेपो रेट, मुद्रा बाजार की वर्तमान स्थिति एवं स्थानीय स्तर पर ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तन के दृष्टिगत भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं0 आर0पी0सी0डी0एन0ओ0 डी0आई0 आर0बी0सी0 50/07/3801/94-95 दिनांक 17.10.94 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये ब्याज निर्धारण कमेटी की बैठक दिनांक 25.09.2023 द्वारा लिये गये निर्णय के कम में बैंक के निक्षेपों में अधिकाधिक वृद्धि करने के साथ-साथ लागत में भी कमी करने के उद्देश्य से, पूर्व में बैंक पत्रांक सी-17 दि0 19.04.2023 के कम में दिनांक 20.04.2023 से प्रभावी ब्याज दरों को निरस्त करते हुए निम्नानुसार ब्याज दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। सावधि जमा/आवर्ती निक्षेप की ब्याज दरों में किया गया परिवर्तन/संशोधन दिनांक 26.09.2023 से जमा/नवीनीकृत होने वाले निक्षेपों पर प्रभावी होगा :-

क्र0 सं0	समयावधि	दिनांक 26.09.2023 से प्रभावी संशोधित ब्याज दरें। (अं0 50.00 लाख रू0 से कम की जमा पर) (% में)	दिनांक 26.09.2023 से प्रभावी संशोधित ब्याज दरें। (अं0 50.00 लाख रू0 एवं अधिक, की एकल सावधि जमा पर) (% में)
(1)	7 दिन से 14 दिन	3.5	--
(2)	15 दिन से 45 दिन	4.00	--
(3)	46 दिन से 90 दिन	4.50	--
(4)	91 दिन से 180 दिन	5.50	--
(5)	181 दिन और अधिक किन्तु एक वर्ष से कम	6.25	--
(6)	एक वर्ष और अधिक किन्तु दो वर्ष से कम	7.30	7.80 Non Callable
(7)	दो वर्ष और अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम	7.25	7.40 Non Callable
(8)	तीन वर्ष और अधिक किन्तु पाँच वर्ष से कम	7.25	7.30 Non Callable
(9)	पाँच वर्ष और अधिक	7.20	7.30 Non Callable

- बचत खातों पर ब्याज दरें पूर्व की भांति 3.00 प्रतिशत रहेंगी।
- वरिष्ठ नागरिकों को उपरोक्त स्लैब पर सभी प्रकार के सावधि जमा/आवर्ती जमा आदि पर 0.50 प्रतिशत की अधिक ब्याज की सुविधा रहेगी।
- बैंक स्टाफ को उपरोक्त के अतिरिक्त 1 प्रतिशत तथा वरिष्ठ नागरिक के श्रेणी में आने पर बैंक स्टाफ को (1.00+0.50) 1.50 प्रतिशत अधिक ब्याज पूर्ववत देय होगा।
- शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

सभी शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि शाखा के निक्षेप में गुणोंत्तर वृद्धि करें एवं निक्षेप लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रचार-प्रसार का भी सहारा लिया जाये, जो शाखा प्रबंधक इस अवसर का लाभ लेने में असमर्थ रहते हैं, उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अतः संशोधित ब्याज दरों को शाखा के सूचना पट पर प्रदर्शित करते हुए अपने स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

25-09-2023

सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रोजेक्ट मैनेजर, मेगासाफ्ट इन्फोरमेशन सिस्टम प्रा0लि0, 19, राममोहन राय मार्ग लखनऊ को उक्तानुसार संशोधन हेतु।
2. पैक्स सचिव/प्रभारी, संबंधित मिनी बैंक, जनपद मेरठ/बागपत।
3. अनुभाग अधिकारी (आई0टी0)/उपमहाप्रबंधक(आई0टी0), बैंक मुख्यालय को उक्तानुसार संशोधन कराने हेतु।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, बैंक मुख्यालय।
5. समस्त उपमहाप्रबंधक, बैंक मुख्यालय।
6. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता, जनपद मेरठ/बागपत।
7. संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक, सहकारिता, मेरठ मण्डल मेरठ।
8. मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला सहकारी बैंक लि0 मेरठ को उनके द्वारा दी गयी अनुमति के कम में अवलोकनार्थ।

25-09-20

सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

e/shail/acount & audit/logo letter A4. 63